

शुद्धि पत्र

मोरातालाब फुटवियर क्लस्टर मोरातालाब, रहुई, जिला-नालंदा को पायलट प्रोजेक्ट रूप में विकसित करने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में ₹130.64 लाख (एक करोड़ तीस लाख चौसठ हजार रूपए मात्र) स्वीकृति संबंधी आदेश संख्या-488, दिनांक-21.02.17 में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1. कंडिका-5 को निम्न प्रकार पढ़ा जाय:- चर्मोत्पाद प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, मोरातालाब को सी०एफ०सी० के रूप में विकसित किया जायेगा। विद्युत स्थापना एवं अनुरक्षण सहित भवन के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी, नालंदा के माध्यम से कराया जायेगा। इस निमित्त ₹25.84 लाख (पच्चीस लाख चौरासी हजार रूपए मात्र) की राशि जिला पदाधिकारी, नालंदा को आवंटित की जायेगी।
2. कंडिका-13 इस प्रकार संशोधित समझा जाय:- एस०पी०भी० को देय राशि 104.80 लाख (एक करोड़ चार लाख अस्सी हजार रूपए मात्र) की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा 25.84 लाख (पच्चीस लाख चौरासी हजार रूपए मात्र) रूपए का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, नालंदा होंगे और नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
3. कंडिका-14 को निम्न प्रकार संशोधित समझा जाय:- जिला पदाधिकारी को देय ₹25.84 लाख (पच्चीस लाख चौरासी हजार रूपए मात्र) की निकासी जिला कोषागार, नालंदा से होगी, जबकि एस०पी०भी० को देय राशि ₹104.80 लाख (एक करोड़ चार लाख अस्सी हजार रूपए मात्र) की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
4. कंडिका-15 को निम्न प्रकार संशोधित समझा जाय:-एस०पी०भी० को देय राशि ₹104.80 लाख (एक करोड़ चार लाख अस्सी हजार रूपए मात्र) की निकासी कोषागार फार्म-26 पर की जायेगी।
5. कंडिका-16 को विलोपित किया जाता है।
6. शेष यथावत रहेंगे।

ह०/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक-.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी नालंदा (बिहारशरीफ) (राज्यादेश संख्या-488, दिनांक-21.02.17 संलग्न), / कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

क्रमश:-2


ज्ञापांक- 659

पटना, दिनांक 09.08.2017

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, नालन्दा (बिहारशरीफ)/ संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, एवं प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार) / आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मोरातालाब फुटवेयर औद्योगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लि0, मोरातालाब, रहुई, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

०४

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, २०१६ के अंतर्गत मोरातालाब फुटवेयर क्लस्टर, मोरातालाब, रहुई, नालंदा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए ₹१३०.६४ लाख (एक करोड़ तीस लाख चौंसठ हजार रुपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-२०१६ की कंडिका-६(४.६) में निहित प्रावधानों के आलोक में उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेदर फुटवेयर क्लस्टर, मोरातालाब, रहुई, नालंदा को विकसित करने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र को विकसित करने का प्रस्ताव है। इस क्लस्टर का एस० पी० भी० मोरातालाब फुटवेयर औद्योगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लि० के नाम से बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, १९९६ के अंतर्गत निबंधित है।

२. सी०एफ०सी० के विकास हेतु परामर्शी द्वारा एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर समर्पित किया गया। एस०पी०भी० सदस्य द्वारा डी०पी०आर० की समीक्षा के बाद अपनी सहमति प्रदान की गई।

३. मोरातालाब में लेदर फुटवेयर विनिर्माण क्लस्टर के लिए सी०एफ०सी० के विकास हेतु ₹१३०.६४ लाख (एक करोड़ तीस लाख चौंसठ हजार रुपए मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

४. प्रस्तावित सी०एफ०सी० के लिए मदवार अनुमानित व्यय अनुमोदित डी०पी०आर० में दिया गया है। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान किया जायेगा एवं एक मद में अवशेष राशि का उपयोग दूसरे मद के व्यय में किया जा सकेगा।

५. घर्मोत्पाद प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, मोरातालाब को सी०एफ०सी० के रूप में विकसित किया जायेगा। विद्युत स्थापना एवं अनुरक्षण सहित भवन के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी, नालन्दा के माध्यम से कराया जाएगा। इस निमित्त ₹२५,८४,०००.०० (पच्चीस लाख चौरासी हजार रुपये मात्र) की राशि जिला पदाधिकारी, नालन्दा को विमुक्त की जाएगी।

६. स्वीकृत अवशेष राशि ₹१,०४,८०,०००.०० (एक करोड़ चार लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) संबंधित एस० पी० भी० (मोरातालाब फुटवेयर औद्योगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लि०) को सी० एफ० सी० के विकास हेतु तीन समान किस्तों में उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक अगली किस्त की विमुक्ति के पूर्व एस० पी० भी० द्वारा पूर्व में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

७. अनुदान की प्रथम किस्त के भुगतान के पूर्व एस० पी० भी० को अपने सभी सदस्यों को एफ०डी०डी०आई०, बिहटा, पटना में पादुका निर्माण मशीन के संचालन का प्रशिक्षण दिलवाना अनिवार्य होगा, जिसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

८. एस० पी० भी० द्वारा राशि के उपयोग में विचलन/ दुरुपयोग की स्थिति में उद्योग विभाग द्वारा एस० पी० भी० के सभी सदस्यों से समान अनुपात में व्याज सहित राशि वसूल की जायेगी। यदि एस० पी० भी० उपलब्ध कराई गई राशि ब्याज सहित वापस नहीं कर पाती हैं, तो बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम १९१४ (यथा संशोधित) के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

9

9. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा सी० एफ० सी० स्थापना पर होने वाले व्यय का लगातार अनुश्रवण करेंगे कि यह अनुमोदित डी०पी०आर० के अनुसार की जा रही है। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा एस० पी० भी० द्वारा उद्योग विभाग को समर्पित किया जाने वाला उपयोगिता प्रमाण-पत्र का सत्यापन भी करेंगे।
10. उद्योग विभाग द्वारा विशेषज्ञ/ परामर्शी संस्थान को नियुक्त करेगी जो सी०एफ०सी० की स्थापना से संबंधित कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण करेगी और सुनिश्चित करेगी कि यह अनुमोदित डी०पी०आर के अनुसार हो रहा है।
11. सभी प्रकार के व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।
12. उक्त राशि का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना व्यय (विस्तृत) में मांग संख्या-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0102 इन्टरप्रोनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड-P2852807890102 राज्य योजना स्कीम कोड 5428, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में उपबंधित एवं आवंटित राशि से की जाएगी।
13. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
14. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
15. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।
16. ₹25,84,000.00 (पच्चीस लाख चौरासी हजार रुपये मात्र) की राशि जिला पदाधिकारी नालन्दा को डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
17. ₹1,04,80,000.00 (एक करोड़ चार लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) की राशि मोरातालाब फुटवेयर औद्योगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लि० को तीन समान किस्तों में डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।
18. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक-.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक... 21.02.17

ज्ञापांक-488

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, नालन्दा (बिहारशरीफ)/ संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, एवं प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार)/ आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मोरातालाब फुटवेयर औद्योगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, मोरातालाब, रहुई, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।